न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल नं0– 06./2022
अनवान :–

1. मूलचन्द पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

सायल

बनाम

1. नन्दुराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

असल गैरसायल

3. उग्रसेन पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजकोरी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रामकुमार अभिभावक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 16/3/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प गलवानी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 122/103 की कुल 3.4160हैक भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3, 4 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 34/25 की कुल 5.3120हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ,4 अपने खेत में अवागमन करने हेतु मन्जुर शुद्वा रास्ता से होकर आगे अपने खेत में गैरसायल संख्या 1 के खेत में प0न0 332/390(2) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 में पश्चिम दिशा से उत्तर से दक्षिण हमेशा से ही आवागमन करते है सायल सदामत से इसी रास्ता से आज जा रहा है जो मौका पर रास्ता चालु है लेकिन रिकार्ड में दर्ज नही होने से गैरसायल के नुकसान होता है इसलिये सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 उक्त रास्ता को स्वीकार करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है एवं रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने को तेयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौका चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 34/25 के प0न0 332/390(2) किला न0 1 ,10 ,20 ,21 में 1–1 बिश्वा पश्चिम दिशा से उत्तर से दक्षिण मन्जुर फरमाया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल एवं तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ,4 को रोही मौका चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 34/25 के प0न0 332/390(2) किला न0 1 ,10 ,20 ,21 में से होकर सदामत से अपनी भूमिं में आवगमन करते आ रहे है यही रास्ता सायल एव तरतीबी गैरसायल के लिये सुविधाजनक है इसलिये यह रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व बदले में भूमि दिलवाई जावे व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे की चिपते खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों को गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है गैरसायल ने निवदेन किया की प्रश्नगत रास्ता सायल एवं गैरसायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपयोग करते आ रहे है सायल एवं गैरसायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये सहमत है एवं रास्त में आई भूमि के बदले में भूमि देने के लिये भी तैयार है सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार फरमावे।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सायल एवं गैरसायल खातेदार काश्तकार है जो अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो

अतः सायल एवं गैरसायल 1 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 34/25 के प०न० 332/390(2) किला न० 1 ,10 ,11 ,20 ,में 1–1 बिस्वा पश्चिम दिशा से उत्तर में दक्षिण मन्जुर किया जाता है तथा रास्ते की भूमि में बदले में सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ,4 अपनी भूमि रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 122/103 के प०न० 332/390 (2) किला न० 22 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण में 2–1/2 बिस्वा भूमि गैरसायल संख्या 1 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
क्रमांक : राजस्व / 2020 / 839 दिनांक 22/03/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना-पत्र सं0 06 सन 2022 निर्णय दिनांक :- 16/03/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. मुलचन्द पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. चन्दुराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायल

3. उग्रसेन पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजकोरी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर

तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 34 / 25 के प0न0 332 / 390(2) किला न0 1 ,10 ,11 ,20 में 1-1 बिश्वा पश्चिम दिशा से उत्तर में दक्षिण मन्जुर किया जाता है तथा रास्ते की भूमि में बदले में सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ,4 अपनी भूमि रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 122 / 103 के प0न0 332 / 390 (2) किला न0 22 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण में 2-1 / 2 बिश्वा भूमि गैरसायल संख्या 1 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner